भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 186

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

†*186. श्री शशांक मणि:

श्री अरुण गोविल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रोग का पता लगाने, निदान, नैदानिक निर्णय सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में सुधार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की तैनाती के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं सहित, जहां ऐसे उपकरण चल रहे हैं या प्रायोगिक कार्यान्वयन के अधीन हैं, इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में, विशेष रूप से देश के ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में एआई-समर्थित स्वास्थ्य देखभाल समाधानों के अपनाने को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई विनियामक ढांचा तैयार किया गया है जिसमें रोगी डाटा की सुरक्षा और एआई आधारित निर्णय लेने में पारदर्शिता शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृत्रिम बुद्धिमत्ता से देशभर में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सुलभता, वहनीयता और गुणवत्ता को किस प्रकार सुदृढ़ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सभा के पटल पर विवरण रख दिया गया है।

दिनांक 31 जुलाई, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *186 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): जी, हाँ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 फरवरी, 2026 को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु कार्यनीति का शुभारंभ किया है। एसएएचआई भारत की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित, नैतिक, साक्ष्य-आधारित, उत्तरदायी तथा समावेशी तरीके से अपनाने के लिए एक राष्ट्रीय मार्गदर्शक रूपरेखा है। एसएएचआई को स्वास्थ्य परिचर्या पारितंत्र से जुड़े विभिन्न प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के उपरांत विकसित किया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए "उत्कृष्टता केंद्र" के रूप में नामित किया है। इन उत्कृष्टता केंद्रों की एआई पहल का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई-आधारित सल्यूशनों के विकास एवं उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक एआई-आधारित सल्यूशन विकसित किए गए हैं। इनमें ई-संजीवनी मंच पर क्लीनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (सीडीएसएस), जो लक्षणों के आधार पर नैदानिक निदान में सहायता प्रदान करता है तथा इस तरह चिकित्सकों को त्वरित एवं सटीक परामर्श देने में सहायक है; एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के अंतर्गत मीडिया रोग निगरानी, जो रोग प्रकोपों का शीघ्र पता लगाने एवं उनकी निगरानी में सहायक है; डायबिटिक रेटिनोपैथी (डीआर आईडेंटीफिकेशन सल्यूशन), जो दृष्टि को प्रभावित करने वाले नेत्र रोगों की समय पर जांच एवं निदान में सहायता करता है; क्षयरोग, कुष्ठ रोग, मलेरिया, अन्य वेटर-जनित रोगों आदि के हॉटस्पॉट की पहचान हेतु एआई-सक्षम उपकरण, जिनके माध्यम से ग्रामीण एवं अल्पसेवित क्षेत्रों सहित पूरे देश में लक्षित इंटरवेंशन किए जा रहे हैं; सामुदायिक पहुंच गतिविधियों के माध्यम से क्षय रोग की जांच एवं शीघ्र निदान हेतु एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे; टीबी मुक्त भारत ऐप, जिसमें एआई-संचालित "खुशी चैटबॉट" उपलब्ध है, जो क्षय रोगियों को दवा सेवन के बारे में स्मरण कराना, उपचार संबंधी मार्गदर्शन, उपचार अनुपालन में सहायता, फॉलो-अप सहायता तथा पोषण एवं मनोसामाजिक संबंधी सहायता प्रदान करता है। ये सभी एआई उपाय देशभर में केंद्र एवं राज्य स्वास्थ्य संस्थानों के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं।

एक साथ, ये सल्यूशन रोग की पहचान, निदान, नैदानिक निर्णय में सहायता तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी सहित स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न आयामों को सुदृढ़ करते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी (आईडेंटीफिकेशन सल्यूशन) रोग की शीघ्र पहचान एवं उपचार में सहायता करता है, सीडीएसएस संभावित विशिष्ट निदान में सहायक है, और एमडीएस रोग प्रकोपों का शीघ्र पता लगाने तथा त्वरित जनस्वास्थ्य कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायक है, जबकि क्षय रोग की पहचान हेतु कई प्रकार के सल्यूशन एवं अन्य एआई-आधारित स्वास्थ्य एप्लीकेशन स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करते हैं।

इसके अतिरिक्त, आंकड़ों की गोपनीयता, सहमति तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जारी विभिन्न नीतियों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। इनमें भारतीय

आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा जारी जैव-चिकित्सा अनुसंधान एवं स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग संबंधी नैतिक दिशा-निर्देश, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एआई का विकास, अधिप्रमाणन, उपयोग एवं निगरानी रोगियों की सुरक्षा, जनविश्वास तथा उत्तरदायी नवाचार को बढ़ावा देने वाले तरीके से हो; इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा जारी इंडिया एआई गवर्नेंस दिशा-निर्देश, जो एआई के सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी एवं उत्तरदायी विकास, परिनियोजन एवं उपयोग हेतु रूपरेखा प्रदान करते हैं; स्वास्थ्य परिचर्या में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु कार्यनीति, जो भारत की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में एआई के सुरक्षित, नैतिक, साक्ष्य-आधारित, उत्तरदायी एवं समावेशी उपयोग की रूपरेखा उपलब्ध कराती है; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, जो इलेक्ट्रॉनिक कार्य-संपादन एवं डिजिटल शासन को विनियमित करता है; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य सेवा हेतु सूचना सुरक्षा नीति, जो स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों एवं रोगियों के संवेदनशील आंकड़ों को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंडिया (एचटीएआईएन) जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का अधीन संबद्ध कार्यालय है, उभरती हुई एआई एवं डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों (डीएचटी) की सुरक्षा, नैदानिक प्रभावकारिता, उपयोगिता तथा विस्तार क्षमता का मूल्यांकन करता है। जिन प्रौद्योगिकियों की नैदानिक प्रभावशीलता सिद्ध हो जाती है, उनका व्यापक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (एचटीए) किया जाता है, जिससे जनस्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में उनके लागत-प्रभावी होने के कारण उन्हें अपनाने एवं कार्यान्वयन के समर्थन हेतु आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) भी ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण सॉफ्टवेयर के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के उपयोग का विनियमन करता है।
